



24278-8B216

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक :- ...../पी.बी.आर./2016 निगरानी

श्री. कमलेश शर्मा, कर्मी  
द्वारा आज दि 19-12-16 को  
प्रस्तुत

कलक  
कलक ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

817  
19-12-16

1- रवि मंगल पुत्र श्री शिवचरण मंगल  
2- राजीव मंगल पुत्र श्री मोहनलाल मंगल  
निवासी लक्ष्मीगंज गुना -आवेदकगण  
बनाम

1- अब्दुल बहाव कुरैषी पुत्र श्री अब्दुल सलाम  
कुरैसी निवासी लूसन का बगीचा कॅन्ट  
गुना तह. व जिला गुना  
2- म. प्र. शासन द्वारा कलैक्टर गुना  
-अनावेदकगण

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश  
भू-राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश दिनांक  
03/08/2015 न्यायालय सक्षम अधिकारी राजस्व  
निरीक्षक वृत्त-3 गुना के प्रकरण क्रमांक  
57/अ-12/2014-2015।

महोदय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

संक्षिप्त विवरण :-

1- यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, अनावेदक  
द्वारा विवादित सर्वे क्रमांक 91/1(ग) रकवा 1.137 हैक्टर स्थित  
ग्राम हिलगना तह. व जिला गुना मध्य प्रदेश के सीमांकन के लिये  
आवेदन अधीनस्त राजस्व निरीक्षक को प्रस्तुत किया था।

2- यह कि, अनावेदक के सीमांकन आवेदन पर आवेदकगण द्वारा  
आपत्ति प्रस्तुत कर बताया गया कि, सर्वे क्रमांक 91/1(ग) कोई

कलक

कलक  
19-12-16

(कलक शर्मा)  
के

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-4278-पीबीआर/2016

जिला-गुना

रविमंगल व अन्य विरुद्ध अब्दुल बहाव कुर्रेषी व म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमाषकों के हस्ताक्षर
22-08-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त-3, जिला-गुना के प्रकरण क्रमांक 57/अ-12/2014-15 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 03-08-2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 मू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-गुना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 05-11-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(जे0के0 जैन) सदस्य</p>